न्यायालय

सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी

गुढामालानी

(पीठासीन अधिकारी –केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्याः–2023/7 दर्ज तिथिः–02.01.2023

1. रामीदेवी पुत्री तुलसाराम
2. धोलाराम पुत्र तुलसाराम
3. रमेश पुत्र तुलसाराम
   जाति विश्नोई निवासी खडाली तहसील गुड़ामालानी।

............................वादीगण

बनाम

1. तुलसाराम पुत्र भाकचन्द
2. बुधराम पुत्र भाकचन्द
3. भगवानाराम पुत्र भाकचन्द
4. लाधूराम पुत्र भाकचन्द
5. वरीगा पुत्र लिखमा
   जाति विश्नोई निवासी खडाली तहसील गुड़ामालानी
6. हनुमानराम पुत्र अर्जुनराम
   जाति नाई निवासी लाला की बेरी, बाण्ड तहसील नोखड़ा।
7. तहसीलदार एवं उपपंजीयक गुड़ामालानी

.... प्रतिवादीगण

उपस्थित अधिवक्ता
वादीः–श्री मानाराम विश्नोई
प्रतिवादी संख्या 3,4–श्री हरीशचन्द्र चौधरी
प्रतिवादी संख्या 6ः–श्री रामजीवन विश्नोई
शेष प्रतिवादीगणः–एकतरफा

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा–88, 188
राजस्थान काश्तकारी अधि0–1955

–ःनिर्णयः–

निर्णय तिथिः–04.05.2026

1. आज यह पत्रावली दावा बाबत् इस्तकराहक्क अन्तर्गत धारा–88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 का वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई। हस्तगत वाद पत्र निणर्यन हेतु प्रकरण का सारतः सूक्ष्म विवरण इस प्रकार से हैः–

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.05.13 10:45:04 IST
Reason: SelfAttested

1.1 कि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 से 05 एक ही खानदान से है। जिसके पूर्वज लिखमा है। जो हिन्दु विधि की मिताक्षरा शाखा से शासित होते है। उक्त हिन्दु परिवार का वंशवृक्ष निम्नानुसार है–

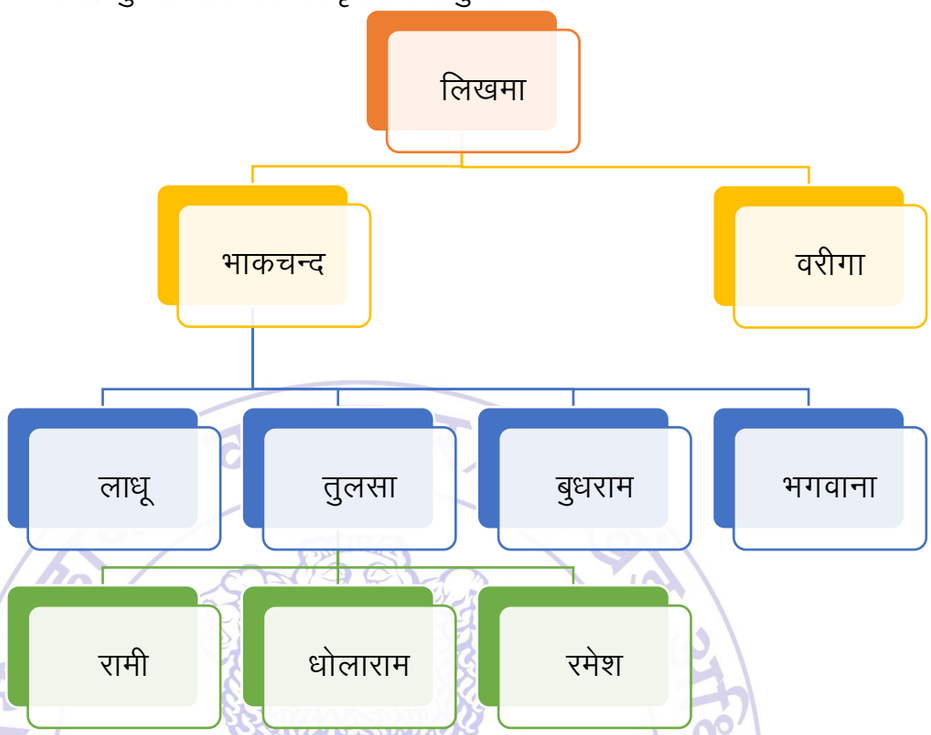

1.2 कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण की पैतृक खातेदारी की भूमि मुतनाजा आराजी खसरा संख्या 36 रकबा 7.6728 है0 मौजा नई खडाली एवं खसरा संख्या 125/6.9687 है0, 124 रकबा 0.0081 है0 मौजा खडाली पटवार हल्का खडाली तहसील गुड़ामालानी में अवस्थित है।

1.3 कि मुतनाजा आराजी खसरा संख्या 36 मौजा नई खडाली में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 प्रत्येक का 1/32–1/32 हिस्सा, खसरा संख्या 124 मौजा खडाली में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 प्रत्येक का 1/32–1/32 एवं खसरा संख्या 125 मौजा खडाली में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 प्रत्येक का 1/16–1/16 हिस्सा खातेदारी का है। हिन्दु उत्तराधिकार संसोधन अधिनियम–2005 की धारा–6 के अनुसार वादीगण मुतनाजा आराजी में प्रतिवादी संख्या 01 के प्रथम श्रेणी के वारिस होने के कारण जन्म से हक हिस्सा निहित है। उसी अनुसार वादीगण अपना हिस्सा घोषित करवाने के अधिकारी है।

1.4 कि वादीगण के पिता प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा मुतनाजा आराजी खसरा संख्या 36 रकबा 7.6728 है0 मौजा नई खडाली में अपने हिस्से से अधिक बेचाननामा प्रतिवादी सख्या 06 के पक्ष में निष्पादित करवाया है। उक्त बेचाननामा के आधार ग्राम पंचायत द्वारा नामान्तरण संख्या 125 पारित किया गया। जिसकी जानकारी वादीगण को नहीं थी। प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा पैतृक आराजी का हिस्से से अधिक बेचान करने पर उक्त बेचाननामा वादीगण के हक हिस्से की सीमा तक शुन्य एवं निष्प्रभावी घेषित किया जावे।

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.05.13 10:45:04 IST
Reason: SelfAttested

1.5 कि वादीगण को प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे की वादीगण के हक हिस्से की आराजी में प्रतिवादीगण विवाद पैदा नहीं करने, हस्तक्षेप नहीं करे।

2. वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 02, 04 व 06 असालतन–वकालतन उपस्थित न्यायालय हुए। शेष अनुपस्थि प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 06 द्वारा जबावदावा प्रस्तुत करते हुए निम्न प्रकार निवेदन कियाः–

2.1. कि वादीगण द्वारा प्रतिवादी संख्या 01 के विधिक वारिस होने के संबंध में ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है, जिससे तुलसाराम के वारिस साबित हो सके।

2.2. कि प्रतिवादी संख्या 01 अपने पिता से हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम–1956 की धारा–8 के तहत खसरा संख्या 36 प्राप्त होने से प्रतिवादी संख्या 01 कर्ताखानदान की हैसियत से काबिज हुआ। प्रतिवादी संख्या 01 ने अपने परिवार की विधिक आवश्यकता व पुत्रियों की शादी के लिए आय का कोई अन्य स्रोत नहीं होने से खसरा संख्या 36 में से बेचान किया। जिसमें वादीगण अपना हिस्सा घोषित करवाने के हकदार नहीं होने से काबिले खारिज है।

2.3. कि वादग्रस्त आराजी में वादीगण द्वारा अपने पिता प्रतिवादी संख्या 01 को हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम–1956 की धारा–8 के तहत प्राप्त होने एवं वादीगण धारा–6 के तहत प्राप्त करने के अधिकारी नहीं होने से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा–40 के अन्तर्गत हिस्सा मांगा गया है। जो वादीगण के पिता प्रतिवादी संख्या 01 के मृत्यु के उपरान्त ही प्रभाव में है। इसलिए वाद काबिले खारिज है।

2.4. कि वादग्रस्त आराजी में प्रतिवादी संख्या 01 का 37/168 वां हिस्सा था। जिसमें से प्रतिवादी संख्या 01 ने अपने 37/168 वा हिस्से का 8400/8769 अर्थात कुल रकबे का 50/237 हिस्सा अर्थात 10 बीघा भूमि का बेचान प्रतिवादी संख्या 06 को जरिये पंजीबद्ध बयनामा दिनांक 11.07.2012 को दस्तावेज संख्या 2012001632 के माध्यम से प्रतिवादी संख्या 06 के पक्ष में निष्पादित करवाया। वक्त बेचान से प्रतिवादी संख्या 06 का 10 बीघा भूमि पर कब्जा काश्त है। वादीगण का बेचान की गई 10 बीघा भूमि पर कब्जा काश्त नहीं होने से किसी प्रकार का घोषणा का दावा करने की अधिकारी नहीं होने से उक्त वाद विधि वर्जित होने से काबिले खारिज है।

2.5. कि वादीगण द्वारा प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा वादग्रस्त आराजी के बेचान करने के 12 वर्ष बाद वाद पेश किया है जो वादकारण मयाद बाहर है। वादीगण द्वारा प्रतिवादी संख्या 06 के पक्ष में निष्पादित बेचाननामा को निरस्त करने का निवेदन किया है। जो माननीय न्यायालय न्यायालय को नहीं होकर सिविल न्यायालय को होने से दावा चलने योग्य नहीं है।

3. प्रकरण में वादीगण के वादपत्र एवं प्रतिवादीगण के जबाबदावा के पश्चात् पत्रावली पर निम्नानुसार तनकीयात कायम किये गयेः–

1. आया वादीगण मुतनाजा आराजी खसरा संख्या 36 मौजा नई खड़ाली पर प्रत्येक का 1/32–1/32 हिस्से व मौजा खडाली के

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.05.13 10:45:04 IST
Reason: SelfAttested

खसरा संख्या 124 पर प्रत्येक का 1/32–1/32 हिस्से व खसरा संख्या 125 पर प्रत्येक का 1/16–1/16 हिस्से की खातेदारी अधिकारो की घोषणा प्राप्त करने के अधिकारी है।

.....वादीगण

2. आया वादीगण मुतनाजा आराजी के प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा प्रतिवादी संख्या 06 के पक्ष में अपने हक से अधिक आराजी के किये गये बेचान को वादीगण के हक हिस्से की सीमा तक आरंभ से शून्य, अवैध व निष्प्रभावी घोषित करवाने के अधिकारी है।

.....वादीगण

3. आया वादीगण मुतनाजा आराजी पर कब्जेकाश्त में प्रतिवादीगण के द्वारा किसी प्रकार से दखलअंदाजी नही करने बाबत पाबंद करवाने हेतु स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी है।

.....वादीगण

4. आया वादवर्णित आराजी के पैतृक आराजी नहीं होने के कारण वादीगण को खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का कोई हक नहीं है।

.....प्रतिवादी संख्या 06

5. आया मुतनाजा आराजी के प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा विधिक आवश्यकता के लिए प्रतिवादी संख्या 06 को बेचान करने के कारण बेचान दिनांक 11.07.2012 के हद तक दावा वादी काबिल–ए–खारिज है।

..... प्रतिवादी संख्या 06

6. आया दावा वादी पंजीकृत बेचाननामा को निरस्त करवाने का अनुतोष रखने के कारण राजस्व न्यायालय का क्षेत्राधिकार नहीं होकर सिविल न्यायालय के क्षेत्राधिकार में होने के कारण दावा वादी काबिल–ए–खारिज है।

..... प्रतिवादी संख्या 06

7. आया दावा वादी वादहेतुक उत्पन्न होने के 12 वर्ष के पश्चात दायर किये जाने से मियादबाहर होने के कारण दावा वादी काबिल–ए–खारिज है।

..... प्रतिवादी संख्या 06

8. अन्य दादरसी

.....उभय–पक्षकारान

4. प्रकरण में उक्त प्रकार से कार्यवाही किये जाने पर विचारण आरम्भ किया गया। प्रकरण में वादीगण द्वारा साक्ष्य स्वरूप निम्न दस्तावेज प्रस्तुत कर प्रदर्श अंकित किए–

दस्तावेज	संवत/विवरण	प्रदर्श
जमाबंदी	ग्राम नई खडाली खसरा संख्या 36	प्रदर्श–01
नक्शा	खसरा संख्या 36 मौजा नई खडाली	प्रदर्श–02
नामान्तरण	नामान्तरण संख्या 70 मौजा नई खडाली	प्रदर्श–03
नामान्तरण	नामान्तरण संख्या 125 मौजा नई खडाली	प्रदर्श–04

5. प्रकरण में वादीगण द्वारा साक्ष्य स्वरूप निम्न गवाह प्रस्तुत किए–

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.05.13 10:45:04 IST
Reason: SelfAttested

नाम	जाति	निवासी	गवाह
रामीदेवी पुत्री तुलछाराम	विश्नोई	खडाली तहसील गुड़ामालानी	पी0डब्ल्यू0–1
रूगनाथराम पुत्र भागीरथराम	विश्नाई	नई खडाली	पी0डब्ल्यू0–2
सुरताराम पुत्र विरधाराम	विश्नोई	राणासर खुर्द	पी0डब्ल्यू–04

6. प्रकरण में रामीदेवी पुत्री तुलछाराम पी.डब्ल्यू.–01, रूगनाथराम पुत्र भागीरथराम पी0डब्ल्यू0–2, सुरताराम पुत्र विरधाराम पी0डब्ल्यू0–3 द्वारा हलफनामा प्रस्तुत कर समान रूप से निम्न प्रकार कथन किये–

6.1. कि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 से 05 एक ही खानदान से है। जिसके पूर्वज लिखमा है। जो हिन्दु विधि की मिताक्षरा शाखा से शासित होते है। कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण की पैतृक खातेदारी की भूमि मुतनाजा आराजी खसरा संख्या 36 रकबा 7.6728 है0 मौजा नई खडाली एवं खसरा संख्या 125/6.9687 है0, 124 रकबा 0.0081 है0 मौजा खडाली पटवार हल्का खडाली तहसील गुड़ामालानी में अवस्थित है।

6.2. कि मुतनाजा आराजी खसरा संख्या 36 मौजा नई खडाली में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 प्रत्येक का 1/32–1/32 हिस्सा, खसरा संख्या 124 मौजा खडाली में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 प्रत्येक का 1/32–1/32 एवं खसरा संख्या 125 मौजा खडाली में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 प्रत्येक का 1/16–1/16 हिस्सा खातेदारी का है। हिन्दु उत्तराधिकार संसोधन अधिनियम–2005 की धारा–6 के अनुसार वादीगण मुतनाजा आराजी में प्रतिवादी संख्या 01 के प्रथम श्रेणी के वारिस होने के कारण जन्म से हक हिस्सा निहित है। उसी अनुसार वादीगण अपना हिस्सा घोषित करवाने के अधिकारी है।

6.3. कि वादीगण के पिता प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा मुतनाजा आराजी खसरा संख्या 36 रकबा 7.6728 है0 मौजा नई खडाली में अपने हिस्से से अधिक बेचाननामा प्रतिवादी सख्या 06 के पक्ष में निष्पादित करवाया है। उक्त बेचाननामा के आधार ग्राम पंचायत द्वारा नामान्तरण संख्या 125 पारित किया गया। जिसकी जानकारी वादीगण को नहीं थी। प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा पैतृक आराजी का हिस्से से अधिक बेचान करने पर उक्त बेचाननामा वादीगण के हक हिस्से की सीमा तक शुन्य एवं निष्प्रभावी घेषित किया जावे।

6.4. कि वादीगण को प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे की वादीगण के हक हिस्से की आराजी में प्रतिवादीगण विवाद पैदा नहीं करने, हस्तक्षेप नहीं करे।

6.5. इसके समर्थन में वादीगण द्वारा पैरा संख्या 04 में अंकित दस्तावेज पर प्रदर्श अंकित करवाए।

7. प्रकरण में रामीदेवी पुत्री तुलछाराम पी.डब्ल्यू.–01 ने प्रतिवादी की जिरह में मुख्य परीक्षण में रूप से अभिकथन किया कि यह कहना सही है कि मैं पढ़ी–लिखी नहीं हूं। मुझे सिर्फ नाम लिखना आता है पढ़ना नहीं आता है। इस शपथ पत्र में क्या लिखा है मुझे पढ़ कर नहीं सुनाया गया। अज खुद कहा कि मेरे हस्ताक्षर करवाए। मेरे ससुराल में मेरे कितने खेत है मुझे ध्यान नहीं। मेरे ससुराल के खेत के कितने

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.05.13 10:45:04 IST
Reason: SelfAttested

खसरे है मुझे ध्यान नहीं। मुझे मेरे पिताजी के खेत के खसरे कितने है मुझे याद नहीं है। यह कहना सही है कि शपथ पत्र में खसरे संख्या वकील साहब ने लिखा है। मेरे पिताजी तुलसाराम ने बेचान की मुझे जानकारी नहीं है नोटिस मेरे पिताजी के घर आए थे। नोटिस पहुंचाने वाले ने मुझे फोन कर मुझे बताया कि आपके नोटिस आए है। यह कहना सही है कि मेरे पिताजी तुलसाराम हमारे परिवार में कर्त्ता धर्ता है। यह कहना सही है कि लेनदेन तुलसाराम ही करते है। यह कहना गलत है कि मुझे मामेरा किया हुआ हो। यह कहना गलत है कि यह दावा तुलसाराम ने करने को कहा हो अज खुद कहा कि दावा मैंने खुद किया है।

8. प्रकरण में रूगनाथराम पुत्र भागीरथराम पी.डब्ल्यू.–2 ने रूपा मेरी पत्नी है ये बात सही है कि मेरी उम्र 40 साल है। मैं अनपढ हूं लेकिन हस्ताक्षर करना जानता हूं। यह कहना सही है कि मुझे हिन्दी बोलना नही आता हैं यह कहना सही है कि शपथ पत्र वकील साहब मानाराम जी ने लिखा है। मैने हस्ताक्षर के वक्त देखा। मेरे और तुलसा की संयुक्त खातेदारी नहीं हे अज खुद कहा कि सेढा लगा हुआ है। यह कहना सही है कि तुलसाराम के परिवार में तुलसा ही करता खानदान है। अज खुद कहा कि तुलसा ही लेन देन करता है। यह कहना सही है कि तुलसाराम ने अपनी पुत्र व पुत्र का विवाह किया। यह कहना सही है कि तुलसा किसान है। मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि तुलसाराम ने अपने पुत्र व पुत्री की शादी के लिए लिया गया कर्ज उतारने के लिए जमीन का बेचान किया गया हो।

9. प्रकरण में सुरताराम पुत्र विरधाराम पी.डब्ल्यू.–3 ने रूपा मेरी पत्नी है ये बात सही है कि मेरी उम्र 40 साल है। मैं अनपढ हूं। हस्ताक्षर करना नहीं जानता हूं। यह कहना सही है कि मुझे हिन्दी बोलना नही आता हैं यह कहना सही है कि शपथ पत्र वकील साहब मानाराम जी ने लिखा है। मैने अंगुष्ठ के वक्त सुनाया था। मेरे और तुलसा की संयुक्त खातेदारी नहीं है अज खुद कहा कि सेढा नहीं लगा हुआ है। यह कहना सही है कि तुलसाराम के परिवार में तुलसा ही कर्ता खानदान है। अज खुद कहा कि तुलसा ही लेन देन करता है। यह कहना सही है कि तुलसाराम ने अपनी पुत्र व पुत्र का विवाह किया। यह कहना सही है कि तुलसा किसान है। मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि तुलसाराम ने अपने पुत्र व पुत्री की शादी के लिए लिया गया कर्ज उतारने के लिए जमीन का बेचान किया गया हो।

10. प्रकरण में वादीगण साक्ष्य के पश्चात् पत्रावली प्रतिवादी साक्ष्य में नियत की गई। प्रकरण में प्रतिवादीगण द्वारा साक्ष्य स्वरूप निम्न दस्तावेज प्रस्तुत प्रस्तुत किए–

दस्तावेज	संवत/विवरण	प्रदर्श
रजिस्ट्री	रजिस्ट्री दिनांक 11.07.2012 की प्रति	प्रदर्शडी–01ए
जमाबंदी	खसरा संख्या 36 मौजा नई खडाली	प्रदर्शडी–02
नक्शा	खसरा संख्या 36 मौजा नई खडाली	प्रदर्शडी–03

11. प्रकरण में वादीगण द्वारा साक्ष्य स्वरूप निम्न गवाह प्रस्तुत किए–

नाम	जाति	निवासी	गवाह
हनुमानराम पुत्र अर्जुनराम	नाई	लाला की बेरी	डी0डब्ल्यू0–01

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.05.13 10:45:04 IST
Reason: SelfAttested

हरूराम पुत्र पुनमाराम	नाई	खडाली	डी0डब्ल्यू0–02
पवन कुमार पुत्र अर्जुनराम	नाई	लाला की बेरी	डी0डब्ल्यू0–03

12. प्रकरण में हनुमानराम पुत्र अर्जुनराम डी0डब्ल्यू0–01, हरूराराम पुत्र पुनमाराम डी0डब्ल्यू0–2, पवन कुमार पुत्र अर्जुनराम डी0 डब्ल्यू–03 द्वारा हलफनामा प्रस्तुत कर समान रूप से निम्न प्रकार कथन किये–

12.1. कि वादीगण द्वारा प्रतिवादी संख्या 01 के विधिक वारिस होने के संबंध में ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है, जिससे तुलसाराम के वारिस साबित हो सके।

12.2. कि प्रतिवादी संख्या 01 अपने पिता से हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम–1956 की धारा–8 के तहत खसरा संख्या 36 प्राप्त होने से प्रतिवादी संख्या 01 कर्ताखानदान की हैसियत से काबिज हुआ। प्रतिवादी संख्या 01 ने अपने परिवार की विधिक आवश्यकता व पुत्रियों की शादी के लिए आय का कोई अन्य स्रोत नहीं होने से खसरा संख्या 36 में से बेचान किया। जिसमें वादीगण अपना हिस्सा घोषित करवाने के हकदार नहीं होने से काबिले खारिज है।

12.3. कि वादग्रस्त आराजी में वादीगण द्वारा अपने पिता प्रतिवादी संख्या 01 को हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम–1956 की धारा–8 के तहत प्राप्त होने एवं वादीगण धारा–6 के तहत प्राप्त करने के अधिकारी नहीं होने से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा–40 के अन्तर्गत हिस्सा मांगा गया है। जो वादीगण के पिता प्रतिवादी संख्या 01 के मृत्यु के उपरान्त ही प्रभाव में है। इसलिए वाद काबिले खारिज है।

12.4. कि वादग्रस्त आराजी में प्रतिवादी संख्या 01 का 37/168 वां हिस्सा था। जिसमें से प्रतिवादी संख्या 01 ने अपने 37/168 वा हिस्से का 8400/8769 अर्थात कुल रकबे का 50/237 हिस्सा अर्थात 10 बीघा भूमि का बेचान प्रतिवादी संख्या 06 को जरिये पंजीबद्ध बयनामा दिनांक 11.07.2012 को दस्तावेज संख्या 2012001632 के माध्यम से प्रतिवादी संख्या 06 के पक्ष में निष्पादित करवाया। वक्त बेचान से प्रतिवादी संख्या 06 का 10 बीघा भूमि पर कब्जा काश्त है। वादीगण का बेचान की गई 10 बीघा भूमि पर कब्जा काश्त नहीं होने से किसी प्रकार का घोषणा का दावा करने की अधिकारी नहीं होने से उक्त वाद विधि वर्जित होने से काबिले खारिज है।

12.5. कि वादीगण द्वारा प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा वादग्रस्त आराजी के बेचान करने के 12 वर्ष बाद वाद पेश किया है जो वादकारण मयाद बाहर है। वादीगण द्वारा प्रतिवादी संख्या 06 के पक्ष में निष्पादित बेचाननामा को निरस्त करने का निवेदन किया है। जो माननीय न्यायालय न्यायालय को नहीं होकर सिविल न्यायालय को होने से दावा चलने योग्य नहीं है।

12.6. जिसके समर्थन में पैरा संख्या 11 में अंकित दस्तावेज प्रदर्शित करवाए।

13. प्रकरण में हनुमानराम पुत्र अर्जुनराम डी0डब्ल्यू0–01 से वादी की जिरह में मुख्य परीक्षण में अभिकथन किया कि यह कहना सही है कि हमने जब जमीन ली थी तब संयुक्त खातेदारी की थी। यह कहना सही है कि मैने संयुक्त खातेदारों से सहमती ली थी। यह कहना सही है कि मैनें रजिस्ट्री करवाई तब गवाह के रूप में चुतराराम बेरीयालसी मौजूद थे जिनके मैने साइन करवाए थे। इस खसरे में मेरा चौथा हिस्सा

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.05.13 10:45:04 IST
Reason: SelfAttested

है। मैने खरीदी तब यह खातेदारी तुलसाराम की पैतृक संपति थी, यह मुझे जानकारी नहीं थी। यह कहना गलत है कि हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार कोई भी खातेदार अपना हिस्सा बेच सकता हो, इस बात कि मुझे जानकारी हो। यह कहना सही है कि शपथ पत्र मैने लिखवाया था और पिछली पेशी तारीख को पेश किया था। दस बीघा जमीन के मैने 1.5 लाख रूपये कैश दिए थे।

14. प्रकरण में हरूराराम पुत्र पुनमाराम डी0डब्ल्यू0–02 से वादी की जिरह में मुख्य परीक्षण में अभिकथन किया कि मैं आज हनुमान के खरीदी हुई जमीन का बयान देने आया हुं। भापथ पत्र मैंने नहीं पढ़ाया है। भापथ पत्र पर वकील साहब के कहने पर हस्ताक्षर किये। हनुमान से 4–5 बीघा जमीन ली है। जो जमीन खरीदी है उसके रजिस्ट्री करवाने मैं साथ में आया था। यह कहना सही है कि यह जमीन हनुमान के लेने पर हनुमान का कब्जा है जिसमें सीणे रोपी हुई है। यह जमीन खरीदी उस समय तुलसाराम ने अकेले ने दी। उक्त जमीन के खसरा संख्या कौनसे है खसरा संख्या मुझे याद नहीं जमीन नाडी के पास है। हनुमान ने जो जमीन खरीदी वह खसरा कितने बीघों का है मुझे याद नहीं है। यह जमीन भागचन्द की पैतृक जमीन थी तो मुझे पता नहीं। मैं मेरे मन से आया हनुमानजी नहीं लाए है।

15. प्रकरण में पवन कुमार पुत्र अर्जुनराम डी0डब्ल्यू0–03 से वादी की जिरह में मुख्य परीक्षण में अभिकथन किया कि मैं आज जमीन सम्बन्धी बयान देने आया हूॅ उक्त जमीन 2012 में खरीदी गई जो 10 बीघा थी। पुरा खेत कितने बीघा का था मुझे मालूम नही ये जमीन मैंने तुसाराम से खरीदी थी जो कि उसकी पैत्रक सम्पति थी रूपये कितने दिये थे मुझे मालूम नही यह जमीन खरीदी थी उस समय मै साथ में नही आया था।साक्ष्य रूपी शपथ पत्र वकील साहब द्वारा लिखवाया गया उस पर मैंने मेरे हस्ताक्षर किये कि यह मैने थोडा–बहुत पठा था।

16. पत्रावली पर विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादीगण द्वारा जवाबदावा में अंकित बिन्दुओं को मात्र दौहराते हुए वादीगण का दावा खारिज करने का निवेदन किया। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता वादीगण द्वारा वाद पत्र में अंकित बिन्दुओं को मात्र दौहराते हुए निवेदन किया–
    16.1. कि मुतनाजा आराजी खसरा संख्या 36 मौजा नई खडाली में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 प्रत्येक का 1/32–1/32 हिस्सा, खसरा संख्या 124 मौजा खडाली में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 प्रत्येक का 1/32–1/32 एवं खसरा संख्या 125 मौजा खडाली में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 प्रत्येक का 1/16–1/16 हिस्सा घोषित किया जावे।
    16.2. वादीगण अपने पिता की आराजी पर आज भी काबिज काश्त है। इस कारण वादीगण का नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जाकर वादीगण की खातेदारी अधिकारों की घोषणा की जावे।
    16.3. कि वादीगण की खातेदारी अधिकारों की घोषणा करते हुए प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे।

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.05.13 10:45:04 IST
Reason: SelfAttested

17. मैनें विद्वान अधिवक्ता वादीगण की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर संलग्न दस्तावेजात् का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण में तनकीवार विश्लेषण किया जाना अपेक्षित है। प्रकरण में सर्वप्रथम कानूनी तनकी संख्या 07 पर विश्लेषण किया जाना अपेक्षित है। प्रकरण मे तनकी संख्या 07 निम्न प्रकार हैः–

> 7. आया दावा वादी वादहेतुक उत्पन्न होने के 12 वर्ष के पश्चात दायर किये जाने से मियादबाहर होने के कारण दावा वादी काबिल–ए–खारिज है।
>
> ..... प्रतिवादी संख्या 06

18. प्रकरण का अवलोकन करने पर प्रतीत होता है कि तनकी संख्या 07 प्रतिवादी संख्या 01 के द्वारा प्रतिवादी संख्या 06 के पक्ष में किये गये पंजीबद्ध बयनामा दिनांक 11.07.2012 को 12 वर्ष पश्चात चुनौती देने के कारण वादी का दावा मियाद बाहर होने से संबंधित है। इस संबंध में उल्लेखनीय है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा–88 के तहत दावा प्रस्तुत करने हेतु तृतीय अनुसूची अनुसार कोई मियाद निर्धारित नहीं की गई है। वादी द्वारा सहदायिकी संपत्ति में निहित अधिकारों की घोषणा का दावा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा–88 के तहत प्रस्तुत किया गया है। उक्त दावा में प्रतिवादी संख्या 06 के पक्ष में किये गये पंजीबद्ध बयनामा दिनांक 11.07.2012 को आरंभ से शुन्य व अवैध होने के आधार पर आनुषांगिक अनुतोष चाहा गया है। इस संबंध में कोई मियाद निर्धारित नहीं है। प्रतिवादी संख्या 06 इस संबंध में कोई स्पष्ट मियाद के बारे में प्रावधान प्रस्तुत करने में असफल रहे है। इस कारण तनकी संख्या 07 प्रतिवादी संख्या 06 के विरूद्ध फैसल की जाती है।

19. प्रकरण में अब तनकी संख्या 01 का विश्लेषण किया जाना अपेक्षित है। प्रकरण में तनकी संख्या 01 निम्न प्रकार हैंः–

> 1. *आया* वादीगण मुतनाजा आराजी खसरा संख्या 36 मौजा नई खड़ाली पर प्रत्येक का 1/32–1/32 हिस्से व मौजा खडाली के खसरा संख्या 124 पर प्रत्येक का 1/32–1/32 हिस्से व खसरा संख्या 125 पर प्रत्येक का 1/16–1/16 हिस्से की खातेदारी अधिकारो की घोषणा प्राप्त करने के अधिकारी *है*/
>
> ..... *वादीगण*

20. प्रकरण में उक्त तनकी पर अग्रिम विश्लेषण से पूर्व सिविल मामलों में संबंधित पक्षों के दावे व खण्डन के संबंध में साबित करने के भार के संबंध में कानूनी स्थिति का अवलोकन किया जाना अपेक्षित है। इस संबंध में भारतीय साक्ष्य अधिनियम–2023 के प्रासंगिक प्रावधानों का विश्लेषण किया जाना अपेक्षित है। इस प्रकार भारतीय साक्ष्य अधिनियम–2023 के प्रासंगिक प्रावधानों का उद्धरण निम्न प्रकार है–

OF THE BURDEN OF PROOF

104. Burden of proof.—Whoever desires any Court to give judgment as to any legal right or liability dependent on the existence of facts which he asserts must prove that those facts exist, and when a person is bound to prove the existence of any fact, it is said that the burden of proof lies on that person.

Illustrations.

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.05.13 10:45:04 IST
Reason: SelfAttested

(a) A desires a Court to give judgment that B shall be punished for a crime which A says B has committed. A must prove that B has committed the crime.

(b) A desires a Court to give judgment that he is entitled to certain land in the possession of B, by reason of facts which he asserts, and which B denies, to be true. A must prove the existence of those facts.

105. On whom burden of proof lies.—The burden of proof in a suit or proceeding lies on that person who would fail if no evidence at all were given on either side.

Illustrations.

(a) A sues B for land of which B is in possession, and which, as A asserts, was left to A by the will of C, B's father. If no evidence were given on either side, B would be entitled to retain his possession. Therefore, the burden of proof is on A.

(b) A sues B for money due on a bond. The execution of the bond is admitted, but B says that it was obtained by fraud, which A denies. If no evidence were given on either side, A would succeed, as the bond is not disputed and the fraud is not proved. Therefore, the burden of proof is on B.

106. Burden of proof as to particular fact.—The burden of proof as to any particular fact lies on that person who wishes the Court to believe in its existence, unless it is provided by any law that the proof of that fact shall lie on any particular person.

Illustration.

A prosecutes B for theft, and wishes the Court to believe that B admitted the theft to C. A must prove the admission. B wishes the Court to believe that, at the time in question, he was elsewhere. He must prove it.

107. Burden of proving fact to be proved to make evidence admissible.—The burden of proving any fact necessary to be proved in order to enable any person to give evidence of any other fact is on the person who wishes to give such evidence.

llustrations.

(a) A wishes to prove a dying declaration by B. A must prove B's death.

(b) A wishes to prove, by secondary evidence, the contents of a lost document. A must prove that the document has been lost.

21. इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या 2413/2006 उनवान में निर्णय दिनांक 02.05.2006 में साक्ष्य अधिनियम–1887 के प्रासंगिक प्रावधानों की विवेचना करते हुए किसी दावे में साबित करने के भार के बारे में विस्तृत विवेचना करते हुए न्यायिक दृष्टांत प्रतिपादित किया है। उक्त न्यायिक दृष्टांत के प्रासंगिक विवेचन का उद्धरण निम्न प्रकार है–

The initial burden of proof would be on the plaintiff in view of Section 101 of the Evidence Act, which reads as under:-

"Sec. 101. Burden of proof.- Whoever desires any Court to give judgment as to any legal right or liability dependent on the

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.05.13 10:45:04 IST
Reason: SelfAttested

existence of facts which he asserts, must prove that those facts exist.

When a person is bound to prove the existence of any fact, it is said that the burden of proof lies on that person."

In terms of the said provision, the burden of proving the fact rests on the party who substantially asserts the affirmative issues and not the party who denies it. The said rule may not be universal in its application and there may be exception thereto.....

Pleading is not evidence, far less proof. Issues are raised on the basis of the pleadings. The defendant-appellant having not admitted or acknowledged the fiduciary relationship between the parties, indisputably, the relationship between the parties itself would be an issue. The suit will fail if both the parties do not adduce any evidence, in view of Section 102 of the Evidence Act. Thus, ordinarily, the burden of proof would be on the party who asserts the affirmative of the issue and it rests, after evidence is gone into, upon the party against whom, at the time the question arises, judgment would be given, if no further evidence were to be adduced by either side.

xxx

There is another aspect of the matter which should be borne in mind. A distinction exists between a burden of proof and onus of proof. The right to begin follows onus probandi. It assumes importance in the early stage of a case. The question of onus of proof has greater force, where the question is which party is to begin. Burden of proof is used in three ways : (i) to indicate the duty of bringing forward evidence in support of a proposition at the beginning or later; (ii) to make that of establishing a proposition as against all counter evidence; and (iii) an indiscriminate use in which it may mean either or both of the others. The elementary rule is Section 101 is inflexible. In terms of Section 102 the initial onus is always on the plaintiff and if he discharges that onus and makes out a case which entitles him to a relief, the onus shifts to the defendant to prove those circumstances, if any, which would disentitle the plaintiff to the same.

In R.V.E. Venkatachala Gounder v. Arulmigu Viswesaraswami & V.P. Temple and Anr., the law is stated in the following terms :

"29. In a suit for recovery of possession based on title it is for the plaintiff to prove his title and satisfy the court that he, in law, is entitled to dispossess the defendant from his possession over the suit property and for the possession to be restored to him. However, as held in A. Raghavamma v. A. Chenchamma there is an essential distinction between burden of proof and onus of proof:

burden of proof lies upon a person who has to prove the fact and which never shifts. Onus of proof shifts. Such a shifting of onus is a continuous process in the evaluation of evidence. In our opinion, in a suit for possession based on title once the plaintiff has been able to create a high degree of probability so as to shift the onus on the defendant it is for the defendant to discharge his onus and in the absence thereof the burden of proof lying on the plaintiff shall be held to have been discharged so as to amount to proof of the plaintiff's title."

22. प्रकरण में भारतीय साक्ष्य अधिनियम–2023 के प्रासंगिक प्रावधानों तथा उक्त न्यायिक दृष्टांत का अवलोकन करने पर कानूनी स्थिति स्पष्ट होती है कि जहां

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.05.13 10:45:04 IST
Reason: SelfAttested

आपराधिक प्रकरणों में निर्णयन संदेहरहित प्रमाणन के आधार पर किया जाता है। वही सिविल प्रकृति के मामलों में संभावनाओं की प्रबलता/प्रधानता के आधार पर निर्णयन किया जाता है। साथ ही यह भी कानूनी स्थिति है कि दावे के अभिवचन साक्ष्य नहीं होते है। दावाकर्त्ता व्यक्ति को अपने दावे के समर्थन में पृथक से साक्ष्य प्रस्तुत करते हुए अपने दावे के तथ्य को साबित करने का दायित्व होता है।

23. इसके साथ ही यह भी कानूनी स्थिति स्पष्ट होती है कि सबूत का भार (Burden of Proof) तथा प्रमाण का भार (Onus of Proof) में अंतर है। किसी सिविल दावे में सबूत का भार (Burden of Proof) प्रमुखतः वादी पर होता है। सबूत का भार (Burden of Proof) स्थानांतरित नहीं होता है। जबकि प्रमाण का भार (Onus of Proof) स्थानांतरित होता है। किसी सिविल दावे में किसी तथ्य को साबित करने का भार (Burden of Proof) उस तथ्य के आधार पर दावा करने वाले व्यक्ति पर होता है। जब किसी तथ्य को किसी व्यक्ति द्वारा प्रमाण का भार (Onus of Proof) पूर्ण करते हुए साबित करने का दायित्व पूर्ण किया जाता है तो प्रमाण का भार (Onus of Proof) प्रतिद्वंदी पर आ जाता है। अब प्रतिद्वंदी को उक्त तथ्य विशेष के खण्डन हेतु साबित करने का भार (Onus of Proof) होने के कारण अगर प्रमाण प्रस्तुत करते हुए प्रमाणन का भार (Onus of Proof) पूर्ण किया जाता है तो प्रमाण का भार (Onus of Proof) वापस स्थानांतरित हो जाता है। इस प्रकार प्रमाण का भार (Onus of Proof) स्थानांतरित होता रहता है। यह एक अनवरत प्रक्रिया है। जो व्यक्ति प्रमाणन का भार (Onus of Proof) का दायित्व पूर्ण करने में असफल रहता है उसके विरूद्ध उक्त तथ्य को साबित माना जाता है।

24. इस प्रकार प्रकरण में सर्वप्रथम वादीगण के तुलसाराम के वारिसान होने के बारे में विश्लेषण किया जाना अपेक्षित है। इस संबंध में वादीगण का अभिवचन है कि वादीगण तुलसाराम के वारिसान है। इसके संबंध में प्रतिवादी का कोई स्पष्ट खण्डन नहीं होने से यह उपधारणा किया जाना उचित प्रतीत होता है कि वादीगण तुलसाराम के वारिसान है। साथ ही प्रकरण में आधार कार्ड के अवलोकन से भी यह तथ्य प्रमाणित होता है कि वादीगण के पिता का नाम तुलसाराम है। इसके साथ ही गवाह वादीगण की जिरह के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि वादीगण के पिता तुलसाराम है। गवाह रामीदेवी प्रतिपरीक्षण में स्वीकार करती है कि उसके पिता तुलसाराम परिवार के कर्ता धर्ता है तथा तुलसाराम ही पैसे का लेन–देन करते है। वादी गवाह रूगनाथ तथा सुरताराम भी अपने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार करता है कि तुलसाराम ही वादी परिवार के कर्ता धर्ता है तथा तुलसाराम ही पैसे का लेन–देन करते है। साथ ही स्वीकार करते है कि तुलसाराम ने ही अपने पुत्र व पुत्री की शादी की थी।

25. इस प्रकार वादीगण को तुलसाराम के परिवार के बारे में गहन जानकारी होना तथा उक्त जानकारी को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार किया जाना या स्पष्ट खण्डन नहीं करना अपने आप में वादीगण को तुलसाराम के परिवार के सदस्य होने के तथ्य को साबित करता है। इस प्रकार दस्तावेजीय साक्ष्य तथा मौखिक साक्ष्य के माध्यम से वादीगण अपने उपर आरोपित तुलसाराम की पुत्र–पुत्री होने के तथ्य के प्रमाणन के भार को निर्वहन करने में सफल रहे है। इससे अब प्रमाणन का भार प्रतिवादीगण के उपर स्थानांतरित होता है। प्रतिवादीगण के द्वारा उक्त तथ्य के

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.05.13 10:45:04 IST
Reason: SelfAttested

स्पष्ट व विशेष खण्डन नहीं किये जाने की स्थिति में वादीगण द्वारा उक्त तथ्य को एक तरीके से प्रतिवादी द्वारा स्वीकार किया गया है। इस संबंध में प्रतिवादीगण के उपर आरोपित प्रमाणन का भार को निर्वहन करने में प्रतिवादीगण असफल रहे है। इससे प्रमाणन का भार वापस वादीगण के उपर स्थानांतरित नहीं होता है। इस प्रकार वादीगण अपने उपर आरोपित तुलसाराम की पुत्र–पुत्री होने के तथ्य को उक्तानुसार साबित करने में सफल रहे है। इस प्रकार वादीगण को तुलसाराम की ही संतान व वारिस माना जाना उचित प्रतीत होता है।

26. उक्त प्रकार से अब प्रकरण में वादीगण को तुलसाराम के वारिसान माने जाने के पश्चात प्रकरण का विधिक आधारों पर विश्लेषण किया जाना अपेक्षित प्रतीत होता है। प्रकरण में उक्त तनकी संख्या 01 सारतः हिन्दू उतराधिकार अधिनियम–1956 की धारा–06 से संबंधित है। प्रकरण में तथ्यों के विश्लेषण से पूर्व प्रासंगिक कानूनी प्रावधानों का विश्लेषण आवश्यक है। उक्त अनुतोष के अवलोकन से अनुतोष में समाहित अनेक पक्ष व बिंदु सामने आते है। अतः उक्त अनुतोष का निर्णयन किये जाने से पूर्व अनुतोष में समाहित अनेक निम्न पक्ष व बिंदुओं का निर्धारण किया जाना अपेक्षित हैः–

    1. *वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 01 का हिन्दू संयुक्त परिवार के सदस्य होना।*
    2. *मुतनाजा आराजी का पैतृक संपति होना।*
    3. *वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 01 का पैतृक आराजी में हिन्दू उतराधिकार अधिनियम–1955 की धारा–06 के तहत सहदायक होना।*
    4. *वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 01 का पैतृक आराजी में हिन्दू उतराधिकार अधिनियम–1955 की धारा–06 के तहत सहदायक होने के आधार पर अधिकार निहित होना।*
    5. *प्रतिवादी संख्या 01 का अपने परिवार के कर्ता/मुखिया होना।*
    6. *प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा बेचान के विधिक आवश्यकताओं के लिए किया गया होना।*

27. प्रकरण में प्रथम अनुतोष के विश्लेषण से पूर्व हिन्दू उतराधिकार से संबंधित संकल्पनाओं व कानून के निम्न बिंदुओं का विश्लेषण किया जाना अपेक्षित हैः–

    1. *हिन्दू संयुक्त परिवार एवं संपति की संकल्पना/अवधारणा।*
    2. *पैतृक संपति की संकल्पना/अवधारणा।*
    3. *सहदायिकी एवं सहदायिकी संपति की संकल्पना/अवधारणा।*
    4. *सहदायिकी संपति में सहदायक के अधिकार की संकल्पना/अवधारणा।*
    5. *हिन्दू संयुक्त परिवार के कर्ता/मुखिया की संकल्पना/अवधारणा।*
    6. *हिन्दू संयुक्त परिवार के कर्ता/मुखिया के प्राधिकार की संकल्पना/अवधारणा।*
    7. *हिन्दू संयुक्त परिवार के कर्ता/मुखिया की सहदायिकी संपति के अंतरण की संकल्पना/अवधारणा।*
    8. *सहदायिकी संपति के अंतरण हेतु आवश्यक परिस्थितियों की संकल्पना/अवधारणा।*

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.05.13 10:45:04 IST
Reason: SelfAttested

9. *हिन्दू संयुक्त परिवार के कर्ता/मुखिया की सहदायिकी संपति के अंतरण किये जाने पर क्रेता के कर्तव्य की संकल्पना/अवधारणा।*
10. *हिन्दू संयुक्त परिवार के कर्ता/मुखिया की सहदायिकी संपति के अंतरण के विरूद्ध सहदायक को उपलब्ध विकल्प/उपचार की संकल्पना/अवधारणा।*

28. प्रकरण में सर्वप्रथम हिन्दू विधि के तहत सर्वप्रथम हिन्दू संयुक्त परिवार एवं हिन्दू संयुक्त परिवार द्वारा धारित संपति की संकल्पना/अवधारणा के संबंध में कानून/विधि की स्थिति को समझना अपरिहार्य है। हिन्दू संयुक्त परिवार एवं हिन्दू संयुक्त परिवार द्वारा धारित संपति की संकल्पना/अवधारणा के निम्न आवश्यक अवयव हैः—

1. *हिन्दू विधि में संयुक्त हिन्दू परिवार में सभी परिवार के सदस्य का एक पुरूष पूर्वज होना आवश्यक है।*
2. *हिन्दू विधि में संयुक्त हिन्दू परिवार में सभी पुरूष, उनकी पत्नियां, माताएं एवं अविवाहित पुत्री शामिल होती है।*
3. *हिन्दू विधि में संयुक्त हिन्दू परिवार में शामिल अविवाहित पुत्री का विवाह होते ही वह पति के संयुक्त हिन्दू परिवार का सदस्य बनकर शामिल हो जाती है तथा पिता के संयुक्त हिन्दू परिवार से अलग हो जाती है।*
4. *हिन्दू विधि में बिना संयुक्त हिन्दू परिवार की संपति के भी संयुक्त हिन्दू परिवार अस्तित्व में आ सकता है।*
5. *हिन्दू विधि में संयुक्त हिन्दू परिवार के सदस्य एक दुसरे से रिश्ते के आधार पर एकता में बंधे रहते है।*
6. *हिन्दू विधि में संयुक्त हिन्दू परिवार के सदस्य एक दुसरे से रिश्ते के साथ—साथ भोजन एवं पूजा में भी एकता में बंधे रहते है।*
7. *हिन्दू विधि में संयुक्त हिन्दू परिवार विधि द्वारा सृजित ईकाई है। किन्ही सदस्यों के द्वारा आपस में संयुक्त हिन्दू परिवार का सृजन नहीं किया जा सकता है।*
8. *हिन्दू विधि में संयुक्त हिन्दू परिवार में गोद द्वारा नये सदस्य जोड़े जा सकते है।*
9. *हिन्दू विधि में संयुक्त हिन्दू परिवार में किसी पुरूष सदस्य के नहीं होने की स्थिति में परिवार के अंत को रोकने हेतु गोद द्वारा नये सदस्य जोड़कर परिवार को आगे बढाया जा सकता है।*
10. *हिन्दू विधि में संयुक्त हिन्दू परिवार की संपति पर एक का कब्जा सभी का कब्जा माना जाता है। इस प्रकार हिन्दू संयुक्त परिवार में संपति पर कब्जे के आधार पर एकता रहती है।*
11. *हिन्दू विधि में संयुक्त हिन्दू परिवार की संपति में से कोई सदस्य कभी भी विभाजन करवाकर पृथक हो सकता है। इस प्रकार सदस्य के पृथक होने पर वह संपति संयुक्त हिन्दू परिवार की नहीं रहती है।*

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.05.13 10:45:04 IST
Reason: SelfAttested

12. *एक वृहत हिन्दू संयुक्त परिवार ईकाई में अनेक छोटी–छोटी हिन्दू संयुक्त परिवार की लघुतर ईकाई समाहित हो सकती है। जिनका पृथक अस्तित्व नहीं होता है परंतु छोटी–छोटी हिन्दू संयुक्त परिवार की लघुतर ईकाई अपना प्रबंधन पृथक करती हैं।*

29. प्रकरण में हिन्दू विधि के तहत हिन्दू संयुक्त परिवार एवं हिन्दू संयुक्त परिवार संपति की संकल्पना/अवधारणा के संबंध में कानून/विधि की स्थिति के पश्चात हस्तगत प्रकरण में वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 01–05 के हिन्दू संयुक्त परिवार के सदस्य होने के बारे में विश्लेषण किया जाना अपेक्षित है। प्रकरण में वादीगण द्वारा सजरा प्रस्तुत करते हुए अभिकथन किया है कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 01–05 के हिन्दू होने के कारण सभी हिन्दू उतराधिकार अधिनियम–1956 से शासित होते है। प्रकरण में अन्य प्रतिवादी द्वारा वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 01–05 के हिन्दू संयुक्त परिवार के सदस्य होने के बारे में कोई विशेष व स्पष्ट खंडन नहीं किया है। इस प्रकार यह निर्विवादित है कि वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 01–05 एक ही हिन्दु संयुक्त परिवार के सदस्य है।

30. इस प्रकार वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 01–05 के हिन्दू संयुक्त परिवार के सदस्य होने के बारे में वादी द्वारा सजरा प्रस्तुत किये जाने व साक्ष्य प्रस्तुत करने तथा प्रतिवादी द्वारा स्पष्ट खंडन नहीं करने तथा गवाहों के प्रतिपरीक्षण में वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 01–05 के हिन्दू संयुक्त परिवार के सदस्य होने के बारे में कोई विरोधस्वरूप अभिकथन स्पष्ट नहीं होने के आधार पर वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 01–05 के हिन्दू संयुक्त परिवार के सदस्य माना जाना उचित प्रतीत होता है।

31. अब प्रकरण में सहदायिकी संपति को समझने के लिए सर्वप्रथम पैतृक संपति की संकल्पना/अवधारणा को समझना आवश्यक है। अतः प्रकरण में हिन्दू उतराधिकार के तहत पैतृक आराजी की संकल्पना/अवधारणा के संबंध में कानून/विधि की स्थिति को समझना अपरिहार्य है। हिन्दू विधि के तहत पैतृक संपति की वृहत संकल्पना को समझने के पश्चात हिन्दू विधि के पैतृक संपति के निम्न आवश्यक अवयव हैः–

    1. *किसी हिन्दू को अपने तृतीय पीढी के पूर्वज पुरूष पिता के पिता के पिता (परदादा) की संपति, अपने पिता व पिता के पिता (दादा) की मृत्यु पिता के पिता के पिता (परदादा) की मृत्यु से पहले होने की स्थिति में, विरासत में सीधे प्राप्त होने पर प्राप्त संपति उस हिन्दू की पैतृक संपति होती है। उपरोक्त प्रथम परिस्थिति में स्पष्ट किया गया है।*
    2. *किसी हिन्दू को अपने द्वितीय पीढी के पूर्वज पुरूष पिता के पिता (दादा) की संपति, अपने पिता की मृत्यु पिता के पिता (दादा) की मृत्यु से पहले होने की स्थिति में, विरासत में सीधे प्राप्त होने पर प्राप्त*

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.05.13 10:45:04 IST
Reason: SelfAttested

संपति उस हिन्दू की पैतृक संपति होती है। उपरोक्त द्वितीय परिस्थिति में स्पष्ट किया गया है।

3. *किसी हिन्दू को अपने प्रथम पीढी के पूर्वज पुरूष पिता की संपति विरासत में प्राप्त होने पर प्राप्त संपति उस हिन्दू की पैतृक संपति होती है। उपरोक्त तृतीय परिस्थिति में स्पष्ट किया गया है। इस स्थिति में हिन्दू उतराधिकार अधिनियम–1956 के लागू होने के पश्चात धारा–8 के तहत विरासत के तहत प्राप्त संपति को प्राप्तकर्ता हिन्दू की पैतृक संपति नहीं मानकर प्राप्तकर्ता हिन्दू की पृथक संपति माना जाता है। अगर इस स्थिति में विरासत हिन्दू उतराधिकार अधिनियम–1956 के लागू होने से पूर्व खुलती हैं उस स्थिति में ही विरासत के तहत प्राप्त संपति को प्राप्तकर्ता हिन्दू की पैतृक संपति माना जाता है।*
4. *किसी हिन्दू की प्राप्त पैतृक संपति को उस हिन्दू द्वारा अपने पुत्र, अपने पुत्र के पुत्र (पौत्र), अपने पुत्र के पुत्र के पुत्र (प्रपौत्र) होने की स्थिति में आवश्यक रूप से धारण करना अनिवार्य है।*
5. *किसी हिन्दू की प्राप्त पैतृक संपति में उस हिन्दू का पुत्र, पुत्र के पुत्र (पौत्र), पुत्र के पुत्र के पुत्र (प्रपौत्र) जन्म से ही अधिकार निहित रखता है।*
6. *हिन्दू उतराधिकार (संशोधन) अधिनियम–2005 द्वारा हिन्दू उतराधिकार अधिनियम–1956 की धारा–06 में किये गये संशोधन के पश्चात पुत्रियों को भी पुत्रों के समान सहदायक माना गया है। इस आधार पर किसी हिन्दू की प्राप्त पैतृक संपति में उस हिन्दू की पुत्री भी जन्म से ही अधिकार निहित रखती है।*

32. प्रकरण में वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 01–05 के हिन्दू संयुक्त परिवार के सदस्य मानने के पश्चात विवादित आराजी के सहदायिकी संपति होने के बारे में विश्लेषण किया जाना अपेक्षित है। हिन्दू विधि की नवीनतम स्थिति के अनुसार प्रथम पीढी से संपति प्राप्तकर्ता को संपति हिन्दू उतराधिकार अधिनियम–1956 की धारा–08 के अनुसार विरासत में प्राप्त होने पर वह संपति प्राप्तकर्ता की पृथक संपति मानी जाएगी। हिन्दू विधि की नवीनतम स्थिति के अनुसार उक्त पृथक संपति को सहदायकों/हिन्दू परिवार के सदस्यों द्वारा सहदायकी संपति के बंडल में समर्पित किये जाने की स्थिति में ही सहदायिकी संपति/पैतृक संपति माना जाना विधिसंगत है।

33. इस प्रकार सहदायिकी संपति पर हिन्दू उतराधिकार अधिनियम–1956 की धारा–08 के प्रभाव के संबंध में उपरोक्त न्यायिक दृष्टांतों में की गई विवेचना है। उपरोक्त न्यायिक दृष्टांतों द्वारा हिन्दू विधि के तहत हिन्दू उतराधिकार अधिनियम–1956 की धारा–08 के प्रभाव की कानून की स्थिति निम्न प्रकार स्पष्ट की गई है:–

1. *हिन्दू उतराधिकार अधिनियम–1956 के लागू होने के पश्चात धारा–8 के तहत विरासत के तहत प्राप्त*

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.05.13 10:45:04 IST
Reason: SelfAttested

संपति को प्राप्तकर्ता हिन्दू की पैतृक/सहदायिकी संपति नहीं मानकर प्राप्तकर्ता हिन्दू की पृथक संपति माना जाता है।

2. *अगर उक्त स्थिति में विरासत हिन्दू उतराधिकार अधिनियम–1956 के लागू होने से पूर्व खुलती हैं उस स्थिति में ही विरासत के तहत प्राप्त संपति को प्राप्तकर्ता हिन्दू की पैतृक संपति माना जाता है।*
3. *हिन्दू संयुक्त परिवार के किसी सदस्य की पृथक संपति उस सदस्य विशेष द्वारा हिन्दू संयुक्त परिवार या सहदायिकी संपति के बंडल में स्वेच्छा से समर्पित करने पर ही उस सदस्य विशेष की पृथक संपति सहदायक संपति का हिस्सा मानी जाती है।*

34. उपरोक्त न्यायिक दृष्टांतों द्वारा प्रतिपादित हिन्दू विधि के तहत पैतृक संपति की वृहत संकल्पना को समझने के पश्चात हिन्दू विधि के पैतृक संपति के निम्न आवश्यक अवयव हैः–

4. *किसी हिन्दू को अपने तृतीय पीढी के पूर्वज पुरूष पिता के पिता के पिता (परदादा) की संपति, अपने पिता व पिता के पिता (दादा) की मृत्यु पिता के पिता के पिता (परदादा) की मृत्यु से पहले होने की स्थिति में, विरासत में सीधे प्राप्त होने पर प्राप्त संपति उस हिन्दू की पैतृक संपति होती है। उपरोक्त प्रथम परिस्थिति में स्पष्ट किया गया है।*
5. *किसी हिन्दू को अपने द्वितीय पीढी के पूर्वज पुरूष पिता के पिता (दादा) की संपति, अपने पिता की मृत्यु पिता के पिता (दादा) की मृत्यु से पहले होने की स्थिति में, विरासत में सीधे प्राप्त होने पर प्राप्त संपति उस हिन्दू की पैतृक संपति होती है। उपरोक्त द्वितीय परिस्थिति में स्पष्ट किया गया है।*
6. *किसी हिन्दू को अपने प्रथम पीढी के पूर्वज पुरूष पिता की संपति विरासत में प्राप्त होने पर प्राप्त संपति उस हिन्दू की पैतृक संपति होती है। उपरोक्त तृतीय परिस्थिति में स्पष्ट किया गया है। इस स्थिति में हिन्दू उतराधिकार अधिनियम–1956 के लागू होने के पश्चात धारा–8 के तहत विरासत के तहत प्राप्त संपति को प्राप्तकर्ता हिन्दू की पैतृक संपति नहीं मानकर प्राप्तकर्ता हिन्दू की पृथक संपति माना जाता है। अगर इस स्थिति में विरासत हिन्दू उतराधिकार अधिनियम–1956 के लागू होने से पूर्व खुलती हैं उस स्थिति में ही विरासत के तहत प्राप्त संपति को प्राप्तकर्ता हिन्दू की पैतृक संपति माना जाता है।*
7. *किसी हिन्दू की प्राप्त पैतृक संपति को उस हिन्दू द्वारा अपने पुत्र, अपने पुत्र के पुत्र (पौत्र), अपने पुत्र*

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.05.13 10:45:04 IST
Reason: SelfAttested

के पुत्र के पुत्र (प्रपौत्र) होने की स्थिति में आवश्यक रूप से धारण करना अनिवार्य है।

8. *किसी हिन्दू की प्राप्त पैतृक संपति में उस हिन्दू का पुत्र, पुत्र के पुत्र (पौत्र), पुत्र के पुत्र के पुत्र (प्रपौत्र) जन्म से ही अधिकार निहित रखता है।*
9. *हिन्दू उतराधिकार (संशोधन) अधिनियम–2005 द्वारा हिन्दू उतराधिकार अधिनियम–1956 की धारा–06 में किये गये संशोधन के पश्चात पुत्रियों को भी पुत्रों के समान सहदायक माना गया है। इस आधार पर किसी हिन्दू की प्राप्त पैतृक संपति में उस हिन्दू की पुत्री भी जन्म से ही अधिकार निहित रखती है।*

35. अतः वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 01–05 के एक ही हिन्दू संयुक्त परिवार के सदस्य होने के आधार पर वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 01–05 उक्त सहदायिकी में सहदायक होना स्पष्ट है। इस प्रकार प्रकरण में निर्विवादित है कि उक्त मुतनाजा संपत्ति सहदायिकी संपत्ति है। इसके खण्डन में प्रतिवादी द्वारा यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि उक्त पैतृक आराजी का विधिक विभाजन हो चुका है अथवा तुलसाराम उक्त संपत्ति को प्राप्त करने के पश्चात पृथक रूप से आमदरफत व कब्जा काश्त करता रहा है। प्रतिवादी ने अपने जवाब में उक्त आराजी के तुलसाराम उक्त संपत्ति को प्राप्त करने के पश्चात पृथक रूप से आमदरफत व कब्जा काश्त के बारे में कोई अभिवचन नहीं किये है। बल्कि प्रतिवादी ने अपने साक्ष्य परीक्षण में मुतनाजा आराजी को पैतृक आराजी होने के बारे में तथ्य को स्वीकार किया है। इस प्रकार मुतनाजा आराजी पैतृक आराजी होकर सहदायिकी संपत्ति के रूप में कब्जा काश्त रही है। इस प्रकार वादी अपने उपर आरोपित तथ्य के प्रमाणन के भार (Onus of Proof) को निर्वहन करने में सफल रहा है। इससे प्रमाणन का भार (Onus of Proof) प्रतिवादी के उपर स्थानांतरित होता है। परंतु प्रतिवादी अपने पक्ष में किसी प्रकार का दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य के माध्यम से अपना प्रमाणन का भार (Onus of Proof) प्रस्तुत करने में असफल रहे है। इस संबंध में प्रतिवादी के उपर आरोपित प्रमाणन का भार (Onus of Proof) को निर्वहन करने में प्रतिवादी असफल रहे है। इससे प्रमाणन का भार (Onus of Proof) वापस वादी के उपर स्थानांतरित नहीं होता है।

36. इस कारण सहदायिकी संपत्ति में प्रतिवादी संख्या 01 के हिस्से में से जन्म से ही अधिकार रखने के कारण कर्त्ता के अंतरण के अधिकारों से बाध्य रहते हुए वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 01–05 अपना हिस्सा घोषित करवाने हेतु स्वतंत्र व अधिकृत है। इस प्रकार वादीगण तनकी संख्या 02 के निष्कर्ष के अध्यधीन रहते हुए तनकी संख्या 01 को साबित (Burden of Proof) करने में सफल रहे है। इस कारण तनकी संख्या 01 वादीगण के पक्ष में सशर्त स्वीकार की जाती है।

37. इस संबंध में तनकी संख्या 02 के संबंध में विश्लेषण किया जाना अपेक्षित है। प्रकरण में तनकी संख्या 02 निम्न प्रकार हैः–

    2. *वादीगण मुतनाजा आराजी के प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा प्रतिवादी संख्या 06 के पक्ष में अपने हक से अधिक आराजी के किये गये बेचान को वादीगण के हक हिस्से की सीमा तक आरंभ से शून्य,*

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.05.13 10:45:04 IST
Reason: SelfAttested

अवैध व निष्प्रभावी घोषित करवाने के अधिकारी घोषित किया जावे।

.....वादीगण

38. अब प्रकरण मे तनकी संख्या 02 को साबित करने का भार वादी के उपर है। तनकी संख्या 02 प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा प्रतिवादी संख्या 06 को पंजीकृत बयनामा दिनांक 11.07.2012 द्वारा किये गये अंतरण को आरंभ से शून्य, अवैध व निष्प्रभावी घोषित करवाने को लेकर है। प्रकरण में तनकी संख्या 02 के विश्लेषण से पूर्व पंजीकृत दस्तावेज के शून्यकरणीय व आरंभ से शून्य होने तथा राजस्व न्यायालय व सिविल न्यायालय के क्षेत्राधिकार को लेकर विधि की स्थिति को समझना आवश्यक है।

39. किसी विवादित संपति पर खातेदारी अधिकार निहित होने व विवादित संपति का पंजीकृत दस्तावेज द्वारा अंतरण किए जाने की स्थिति में राजस्व न्यायालय व सिविल न्यायालय के क्षेत्राधिकार के मध्य संशय की स्थिति को स्पष्ट करते हुए निम्न प्रकार कानूनन स्थिति स्पष्ट की गई हैः—

1. *पंजीकृत दस्तावेज के आरंभ से शून्य होने की स्थिति में राजस्व न्यायालय से अनुतोष प्राप्त किया जा सकता है। साथ ही पंजीकृत दस्तावेज के शून्यकरणीय होने की स्थिति में केवल सिविल न्यायालय का क्षेत्राधिकार होता है।*
2. *अगर वादपत्र में विवादित संपति के अंतरण के पंजीकृत दस्तावेज को निरस्त करवाने का मुख्य अनुतोष है तथा अन्य अनुतोष आनुषांगिक है उस स्थिति में केवल सिविल न्यायालय का क्षेत्राधिकार होता है।*
3. *अगर वादपत्र में विवादित संपति पर खातेदारी अधिकार की घोषणा का अनुतोष मुख्य अनुतोष है तथा विवादित संपति के अंतरण के पंजीकृत दस्तावेज को निरस्त करवाने का आनुषांगिक अनुतोष है उस स्थिति में केवल राजस्व न्यायालय का क्षेत्राधिकार होता है।*

40. इसी प्रकार विवादित संपति का पंजीकृत दस्तावेज द्वारा अंतरण किए जाने की स्थिति में राजस्व न्यायालय व सिविल न्यायालय के क्षेत्राधिकार के मध्य संशय की स्थिति को स्पष्ट करते हुए निम्न प्रकार कानूनन स्थिति स्पष्ट की गई हैः—

1. *राजस्व न्यायालय से विवादित संपति पर खातेदारी अधिकार की घोषणा प्राप्त करने के पश्चात ही विवादित संपति के अंतरण के पंजीकृत दस्तावेज को निरस्त करवाने बाबत सिविल न्यायालय में अनुतोष प्राप्त किया जा सकता है।*

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.05.13 10:45:04 IST
Reason: SelfAttested

41. प्रकरण में इस तनकी पर विश्लेषण से पूर्व हिन्दू संयुक्त परिवार तथा सहदायिकी की इकाई तथा संबंधित ईकाई द्वारा धारित हिन्दू संयुक्त परिवार संपति व सहदायिकी संपति की संकल्पना/अवधारणा को समझने के पश्चात हिन्दू संयुक्त परिवार के मुखिया/कर्ता की भूमिका की संकल्पना/अवधारणा को समझना आवश्यक है। हिन्दू विधि के तहत हिन्दू संयुक्त परिवार के कर्त्ता की कानून की स्थिति निम्न प्रकार स्पष्ट की गई हैः—

    1. *अगर पिता जीवित है तो पिता हिन्दू संयुक्त परिवार का कर्ता माना जाता है।*
    2. *अगर पिता जीवित नहीं है तो परिवार का वरिष्ठ सदस्य हिन्दू संयुक्त परिवार का कर्ता माना जाता है।*
    3. *एक वृहत हिन्दू संयुक्त परिवार ईकाई में अनेक छोटी—छोटी हिन्दू संयुक्त परिवार की लघुतर ईकाई समाहित हो सकती है। इन लघुतर हिन्दू संयुक्त परिवार की लघुतर ईकाई के पृथक—पृथक कर्ता हो सकते है।*
    4. *हिन्दू संयुक्त परिवार का कर्ता पर अन्य सदस्यों से विशिष्ट स्थिति रखता है। हिन्दू संयुक्त परिवार का कर्ता को संयुक्त परिवार के सदस्यों से सलाह मशविरा कर संयुक्त परिवार के प्रबंधन की जिम्मेदारी होती है।*

42. प्रकरण में हिन्दू संयुक्त परिवार के मुखिया/कर्ता की भूमिका को समझने के पश्चात की हिन्दू संयुक्त परिवार के मुखिया/कर्ता के प्राधिकार एवं संपति के अंतरण की शक्तियों की संकल्पना/अवधारणा को समझना आवश्यक है। हिन्दू संयुक्त परिवार के कर्ता के प्राधिकार की संकल्पना/अवधारणा के निम्न आवश्यक अवयव हैः—

    1. *हिन्दू विधि द्वारा अनुमत परिस्थितियों के अतिरिक्त हिन्दू विधि में संयुक्त हिन्दू परिवार का कर्ता बिना सहदायकों की सहमति के सहदायिकी संपति का अंतरण नहीं कर सकता है।*
    2. *हिन्दू विधि में संयुक्त हिन्दू परिवार का कर्ता बिना सहदायकों की सहमति के सहदायिकी संपति को हिन्दू विधि द्वारा अनुमत निम्न परिस्थितियों के अंतर्गत अंतरण कर सकता हैः—*
        - *आपातकालेः— विधिक आवश्यकतार्थ।*
        - *कुटुम्बार्थेः— परिवार के हितार्थ।*
        - *धर्मार्थेः— पवित्र उद्देश्य हेतु।*
    3. *हिन्दू विधि में संयुक्त हिन्दू परिवार का कर्ता द्वारा हिन्दू विधि द्वारा अनुमत उक्त परिस्थितियों के अंतर्गत किये गए अंतरण से सभी सहदायक बाध्य होते है।*

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.05.13 10:45:04 IST
Reason: SelfAttested

43. प्रकरण में हिन्दू संयुक्त परिवार के मुखिया/कर्ता की भूमिका को समझने के पश्चात की हिन्दू संयुक्त परिवार के मुखिया/कर्ता के नाबालिक सहदायक के संबंध में प्राधिकार एवं संपति के अंतरण की शक्तियों की संकल्पना/अवधारणा को समझना आवश्यक है। हिन्दू संयुक्त परिवार के कर्ता के प्राधिकार की संकल्पना/अवधारणा के निम्न आवश्यक अवयव हैः—

1. *हिन्दू विधि में संयुक्त हिन्दू परिवार का कर्ता द्वारा हिन्दू विधि द्वारा अनुमत उक्त परिस्थितियों के अंतर्गत से सभी सहदायक, चाहे सहदायक बालिग हो या नाबालिग, से निरपेक्ष रहते हुए हिन्दू संयुक्त परिवार की संपति का अंतरण कर सकता है।*
2. *हिन्दू विधि में संयुक्त हिन्दू परिवार का कर्ता द्वारा हिन्दू विधि द्वारा अनुमत उक्त परिस्थितियों के अंतर्गत हिन्दू संयुक्त परिवार की संपति के किये गए अंतरण से सभी सहदायक, चाहे सहदायक बालिग हो या नाबालिग, से निरपेक्ष रहते हुए बाध्य होते है।*
3. *हिन्दू विधि में संयुक्त हिन्दू परिवार के कर्ता की अनुपस्थिति में संयुक्त हिन्दू परिवार के मुखिया/संरक्षक द्वारा हिन्दू विधि द्वारा अनुमत उक्त परिस्थितियों के अंतर्गत हिन्दू संयुक्त परिवार की संपति के किये गए अंतरण से सभी सहदायक, चाहे सहदायक बालिग हो या नाबालिग, से निरपेक्ष रहते हुए बाध्य होते है।*

44. प्रकरण में हिन्दू संयुक्त परिवार की संपति में कर्ता के अधिकार की अवधारणा से प्रकरण के तथ्यों का विश्लेषण किया जाना अपेक्षित है। प्रकरण में तुलसा पुत्र भाकचंद की पारिवारिक इकाई का मुखिया तुलसाराम प्रतीत होता है। इस संबंध में वादीगण तुलसाराम पुत्र भाकचंद के अपने पारिवारिक इकाई के कर्ता खानदान नहीं होने के संबंध में कोई खंडन नहीं करते हुए कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर पाए है। बल्कि वादीगण के गवाह के द्वारा प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया गया है कि तुलसाराम ही परिवार का कर्त्ता खानदान रहा है तथा परिवार का लेनदेन का कार्य तुलसाराम ही करता है। इस आधार पर तुलसाराम पुत्र भाकचंद के अपने पारिवारिक ईकाई के कर्ता माना जाना उचित प्रतीत होता है। इस प्रकार प्रकरण में निर्विवादित है कि तुलसाराम ही परिवार का कर्त्ता धर्ता है।

45. प्रकरण में हिन्दू संयुक्त परिवार के मुखिया/कर्ता की भूमिका, प्राधिकार एवं संपति के अंतरण की शक्तियों की संकल्पना/अवधारणा को समझने के पश्चात सहदायक द्वारा सहदायिकी संपति में अपने हिस्से के बेचान द्वारा अंतरण तथा अंतरण हेतु आवश्यक परिस्थितियों की संकल्पना/अवधारणा को समझना आवश्यक है। हिन्दू संयुक्त परिवार के कर्ता के प्राधिकार की संकल्पना/अवधारणा के निम्न आवश्यक अवयव हैः—

3. *हिन्दू विधि में संयुक्त हिन्दू परिवार का कर्ता बिना सहदायकों की सहमति के सहदायिकी संपति को हिन्दू विधि द्वारा अनुमत निम्न परिस्थितियों के अंतर्गत अंतरण कर सकता हैः—*

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.05.13 10:45:04 IST
Reason: SelfAttested

- *आपातकालेः— विधिक आवश्यकतार्थ।*
- *कुटुम्बार्थेः— परिवार के हितार्थ।*
- *धर्मार्थेः— पवित्र उद्देश्य हेतु।*

46. प्रकरण में सहदायक द्वारा सहदायिकी संपति में अपने हिस्से के विधिक आवश्यकता के तहत परिवार के लाभ हेतु संपति का बेचान द्वारा के अंतरण की संकल्पना/अवधारणा को समझने के पश्चात सहदायक द्वारा सहदायिकी संपति में अपने हिस्से के बेचान द्वारा अंतरण तथा अंतरण हेतु उत्पन्न विधिक आवश्यकता की संकल्पना/अवधारणा को समझना आवश्यक है। हिन्दू संयुक्त परिवार के कर्ता के प्राधिकार की संकल्पना/अवधारणा के निम्न आवश्यक अवयव हैः—
    1. *हिन्दू विधि में संयुक्त हिन्दू परिवार का कर्ता बिना सहदायकों की सहमति के सहदायिकी संपति को हिन्दू विधि द्वारा अनुमत परिस्थितियों यथा आपातकालेः—विधिक आवश्यकतार्थ अंतरण कर सकता है।*
    2. *सहदायिकी संपति को विधिक आवश्यकतार्थ अंतरण किये जाने हेतु सहदायिकी संपति पर अपरिहार्य, बाध्यकारी दबाव संकट की परिस्थितियां उत्पन्न होनी आवश्यक है।*
    3. *सहदायिकी संपति को विधिक आवश्यकतार्थ अंतरण किये जाने हेतु संयुक्त हिन्दू परिवार का कर्ता का आचरण विवेकपूर्ण पुरूष के समान होना आवश्यक है।*
    4. *सहदायिकी संपति को विधिक आवश्यकतार्थ अंतरण किये जाने हेतु अंतरण एवं संपति के अंतरण से प्राप्त प्रतिफल राशि का युक्तियुक्त होना आवश्यक है।*

47. प्रकरण सहदायक द्वारा सहदायिकी संपति में अपने हिस्से के बेचान द्वारा अंतरण तथा अंतरण हेतु उत्पन्न विधिक आवश्यकता की संकल्पना/अवधारणा को समझने के पश्चात सहदायक द्वारा सहदायिकी संपति में अपने हिस्से के बेचान द्वारा विधिक आवश्यकता हेतु किये गये अंतरण के संबंध में खरीददार के उपर अंतरण की विधिक आवश्यकता को साबित करने की विधिक दायित्व के बारे में समझना आवश्यक है। हिन्दू संयुक्त परिवार के कर्ता के प्राधिकार के तहत सहदायक द्वारा सहदायिकी संपति में अपने हिस्से के बेचान द्वारा विधिक आवश्यकता हेतु किये गये अंतरण के संबंध में खरीददार के उपर अंतरण की विधिक आवश्यकता को साबित करने की विधिक दायित्व की संकल्पना/अवधारणा के निम्न आवश्यक अवयव हैः—
    1. *सहदायिकी संपति को विधिक आवश्यकतार्थ अंतरण किये जाने हेतु सहदायिकी संपति पर अपरिहार्य, बाध्यकारी दबाव व संकट की परिस्थितियां उत्पन्न होनी आवश्यक है।*
    2. *सहदायिकी संपति को विधिक आवश्यकतार्थ अंतरण किये जाने हेतु सहदायिकी संपति पर अपरिहार्य, बाध्यकारी दबाव व संकट की उत्पन्न परिस्थितियां के बारे में क्रेता को अंतरण से पूर्व वास्तविक रूप से जानकारी करने का विधिक दायित्व होता है।*

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.05.13 10:45:04 IST
Reason: SelfAttested

3. *सहदायिकी संपति को विधिक आवश्यकतार्थ अंतरण किये जाने हेतु सहदायिकी संपति पर अपरिहार्य, बाध्यकारी दबाव व संकट की परिस्थितियां उत्पन्न होने को साबित करने का विधिक भार/दायित्व क्रेता के उपर होता है।*
4. *सहदायिकी संपति को पूर्ववर्ती ऋण हेतु विधिक आवश्यकतार्थ अंतरण किये जाने पर सहदायिकी संपति के अंतरण से प्राप्त प्रतिफल राशि का अंतरणकर्ता द्वारा उपयोग के बारे में जानकारी करने का विधिक दायित्व क्रेता का होता है।*
5. *सहदायिकी संपति को परिवार या सहदायिकी संपति के लाभ या निवेश हेतु विधिक आवश्यकतार्थ अंतरण किये जाने पर सहदायिकी संपति के अंतरण से प्राप्त प्रतिफल राशि का अंतरणकर्ता द्वारा उपयोग के बारे में जानकारी करने का विधिक दायित्व क्रेता का होता है।*

48. इस संबंध में हिन्दू विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि सहदायिकी संपति को विधिक आवश्यकतार्थ अंतरण किये जाने हेतु सहदायिकी संपति पर अपरिहार्य, बाध्यकारी दबाव व संकट की परिस्थितियां उत्पन्न होनी आवश्यक है। हिन्दू विधि में संयुक्त हिन्दू परिवार का कर्ता बिना सहदायकों की सहमति के सहदायिकी संपति को हिन्दू विधि द्वारा अनुमत परिस्थितियों यथा *आपातकालेः—विधिक आवश्यकतार्थ* अंतरण कर सकता है। हिन्दू संयुक्त परिवार के कर्ता के सहदायिकी संपति के प्रबंधन/अंतरण के पश्चात ही कर्ता द्वारा अंतरण के विरूद्ध अन्य सहदायक को कर्ता द्वारा अंतरण को विधिक आवश्यकता नहीं होने के आधार पर अंतरण किए जाने के आधार पर ही कर्ता द्वारा किए गए अंतरण को निष्फल करवाने का विकल्प/उपचार उपलब्ध है।

49. प्रकरण में हिन्दू विधि की उक्त स्पष्ट स्थिति के आलोक में प्रकरण में उपरोक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा मुतनाजा आराजी का पंजीकृत बयनामा दिनांक 11.07.2012 के द्वारा प्रतिवादी संख्या 06 को किया गया अंतरण अपने हिन्दू संयुक्त परिवार के कर्ता के रूप में निष्पादित किया गया है। अब प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा मुतनाजा आराजी का पंजीकृत बयनामा दिनांक 11.07.2012 के द्वारा प्रतिवादी संख्या 06 को किया गया अंतरण का विधिक आवश्यकता के आधार पर निष्पादित किये जाने के बारे में विश्लेषण किया जाना अपेक्षित है।

50. इस संबंध में प्रदर्श—05 के अवलोकन से ज्ञात होता है कि प्रतिवादी संख्या 01 भारूराम ने अपने परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अपनी पैतृक आराजी को बेचने का निर्णय लिया। विक्रेता तुलसाराम पुत्र भाकचंद ने अपने परिवार की आवश्यकताओं हेतु रूपयों की जरूरत होने के लिए संपति का बेचान किए जाने बाबत् प्रदर्श—01 पंजीकृत बयनामा दिनांक 11.07.2012 में स्पष्ट अभिकथन किया है। इस प्रकार प्रतिवादी संख्या 06 को उक्त संपति के अंतरण हेतु विधिक

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.05.13 10:45:04 IST
Reason: SelfAttested

आवश्कता की जानकारी होना प्रथमदृष्टया प्रमाणिक प्रतीत होता है। इस प्रकार मुतनाजा आराजी पर अपरिहार्य, बाध्यकारी दबाव व संकट की परिस्थितियां उत्पन्न होने के बारे में क्रेता प्रतिवादी संख्या 06 द्वारा संपति के अंतरण में विधिक आवश्यकता निहित होने के बारे में अपने उपर आरोपित दायित्व की गई जानकारी के संबंध में किये गये उक्त कार्यकरण से प्रतीत होता है कि मुतनाजा आराजी पर अपरिहार्य, बाध्यकारी दबाव व संकट की परिस्थितियां उत्पन्न होने के बारे में क्रेता प्रतिवादी संख्या 06 द्वारा संपति के अंतरण में विधिक आवश्यकता निहित होने के बारे में जानकारी कर अपने उपर आरोपित दायित्व को पूर्ण किया है। इस प्रकार मुतनाजा आराजी पर अपरिहार्य, बाध्यकारी दबाव व संकट की परिस्थितियां उत्पन्न होने के बारे में क्रेता प्रतिवादी संख्या 06 द्वारा संपति के अंतरण में विधिक आवश्यकता निहित होने के बारे में अपने उपर आरोपित दायित्व का निर्वहन किया जाना साबित करने में सफल रहा है। इस प्रकार प्रतिवादी अपने उपर आरोपित तथ्य के प्रमाणन के भार (Onus of Proof) को निर्वहन करने में सफल रहा है। इससे प्रमाणन का भार (Onus of Proof) वादी के उपर स्थानांतरित होता है। इस संबंध में वादी के उपर आरोपित प्रमाणन का भार (Onus of Proof) को निर्वहन करने में प्रतिवादी असफल रहे है। इससे प्रमाणन का भार (Onus of Proof) वापस वादी के उपर स्थानांतरित नहीं होता है।

51. इस कारण प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा हिन्दू संयुक्त परिवार के कर्ता की हैसियत से प्रतिवादी संख्या 06 को पंजीकृत बयनामा दिनांक 11.07.2012 द्वारा मुतनाजा आराजी का परिवार की विधिक आवश्यकतार्थ अंतरण को वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 01 पर बाध्यकारी है। इस प्रकार वादीगण तनकी संख्या 02 को साबित (Burden of Proof) करने में असफल रहे है। इस कारण तनकी संख्या 02 वादीगण के विरूद्ध फैसल की जाती है।

52. प्रकरण में अब तनकी संख्या 05 व 06 पर विश्लेषण किया जाना अपेक्षित है। प्रकरण मे तनकी संख्या 05 व 06 निम्न प्रकार हैः—

    5. आया मुतनाजा आराजी के प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा विधिक आवश्यकता के लिए प्रतिवादी संख्या 06 को बेचान करने के कारण बेचान दिनांक 11.07.2012 के हद तक दावा वादी काबिल—ए—खारिज है।

    ..... प्रतिवादी संख्या 06

    6. आया दावा वादी पंजीकृत बेचाननामा को निरस्त करवाने का अनुतोष रखने के कारण राजस्व न्यायालय का क्षेत्राधिकार नहीं होकर सिविल न्यायालय के क्षेत्राधिकार में होने के कारण दावा वादी काबिल—ए—खारिज है।

    ..... प्रतिवादी संख्या 06

53. प्रकरण में उक्त तनकी सहदायिकी संपत्ति में किये गये अंतरण को आरंभ से शुन्य, अवैध व निष्प्रभावी घोषित करवाने से संबंधित है। प्रकरण में तनकी संख्या 02 के वादीगण के विरूद्ध फैसल होने के कारण पृथक से विश्लेषण की आवश्यकता नहीं है। प्रकरण में तनकी संख्या 05 के संबंध में उक्त विश्लेषण के पश्चात निष्कर्षतः वादी का दावा प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा विधिक आवश्यकता के लिए प्रतिवादी संख्या 06 को बेचान करने के कारण बेचान दिनांक 11.07.2012 के हद तक दावा

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.05.13 10:45:04 IST
Reason: SelfAttested

वादी काबिल–ए–खारिज है। साथ ही तनकी संख्या 06 के संबंध में विधि की सुस्पष्ट स्थिति है कि खातेदारी अधिकारों की घोषणा के मुख्य अनुतोष के आनुषांगिक अनुतोष के रूप में किसी अंतरण के पंजीबद्ध दस्तावेज को आरंभ से शुन्य व निष्प्रभावी घोषित करने का क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय में निहित है। इस आधार पर प्रतिवादी संख्या 06 उक्त तनकी संख्या 05 को साबित करने में सफल रहे है। साथ ही प्रतिवादी संख्या 06 उक्त तनकी संख्या 06 को साबित करने में असफल रहे है। उक्तानुसार तनकी संख्या 05 प्रतिवादी संख्या 06 के पक्ष में तथा तनकी संख्या 06 प्रतिवादी संख्या 06 के विरूद्ध फैसल की जाती है।

54. प्रकरण में अब तनकी संख्या 04 पर विश्लेषण किया जाना अपेक्षित है। प्रकरण मे तनकी संख्या 04 निम्न प्रकार हैः–

> 4. आया वादवर्णित आराजी के पैतृक आराजी नहीं होने के कारण वादीगण को खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का कोई हक नहीं है।
>
> .....प्रतिवादी संख्या 06

55. प्रकरण का अवलोकन करने पर प्रतीत होता है कि तनकी संख्या 04 मुतनाजा आराजी की प्रकृति से संबंधित है। उक्त तनकी पर तनकी संख्या 01 के विवेचन के साथ विश्लेषण किया जा चुका है। उक्त विश्लेषण के अनुसार वादी का अभिवचन है कि मुतनाजा आराजी पैतृक आराजी है। इसके खण्डन में प्रतिवादी द्वारा यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि उक्त पैतृक आराजी का विधिक विभाजन हो चुका है अथवा तुलसाराम उक्त संपत्ति को प्राप्त करने के पश्चात पृथक रूप से आमदरफत व कब्जा काश्त करता रहा है। प्रतिवादी ने अपने जवाब में उक्त आराजी के तुलसाराम उक्त संपत्ति को प्राप्त करने के पश्चात पृथक रूप से आमदरफत व कब्जा काश्त के बारे में कोई अभिवचन नहीं किये है। बल्कि प्रतिवादी ने अपने साक्ष्य परीक्षण में मुतनाजा आराजी को पैतृक आराजी होने के बारे में तथ्य को स्वीकार किया है। इस प्रकार मुतनाजा आराजी पैतृक आराजी होकर सहदायिकी संपत्ति के रूप में कब्जा काश्त रही है। इस प्रकार प्रकरण में निर्विवादित है कि उक्त मुतनाजा संपत्ति सहदायिकी संपत्ति है। इस प्रकार तनकी संख्या 04 को साबित करने में प्रतिवादी संख्या 06 असफल रहे है। इस कारण तनकी संख्या 04 प्रतिवादी संख्या 06 के विरूद्ध फैसल की जाती है।

56. प्रकरण में अब तनकी संख्या 03 पर विश्लेषण किया जाना अपेक्षित है। प्रकरण मे तनकी संख्या 03 निम्न प्रकार हैः–

> 2. *आया वादीगण मुतनाजा आराजी पर कब्जेकाश्त में प्रतिवादीगण के द्वारा किसी प्रकार से दखलअंदाजी नही करने बाबत पाबंद करवाने हेतु स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी है।*
>
> .....वादीगण

57. प्रकरण का अवलोकन करने पर प्रतीत होता है कि तनकी संख्या 03 स्थाई निषेधाज्ञा से संबंधित है। प्रकरण में उक्त तनकी के विवेचन हेतु तथ्यों का गहन विश्लेषण से पूर्व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा–188 का उद्धरण यहॉ प्रतीत होता है। जो कि निम्न प्रकार हैः–

> ***188. Injunction against wrongful ejectment—***
> *(1) Any tenant whose right to or enjoyment of the whole or a part of his holding is invaded or threatened to be invaded by his*

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.05.13 10:45:04 IST
Reason: SelfAttested

landholder or any other person may bring a suit for the grant of a perpetual injunction.

(2) The court may after making the necessary enquiry grant a perpetual injunction in the following cases, namely-

(a) if there exist no standard for ascertaining the actual damage caused or likely to be caused by the invasion;

(b) if the invasion is such that pecuniary compensation does not afford adequate relief;

(c) where it is probable that pecuniary compensation cannot be got for the invasion.

(d) where the injunction is necessary to prevent a multiplicity of proceedings.

58. उक्त राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा–188 के अवलोकन से स्पष्ट है कि धारा–188 के अन्तर्गत किसी खातेदारी आराजी पर खातेदारी अधिकारो की आमदरफत में किसी प्रकार का व्यवधान/अतिक्रमण किया जा रहा हो/किया जाने वाला हो उस स्थिति में व्यवधान उत्पन्न/अतिक्रमण करने वाले व्यक्ति को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किए जाने के प्रावधान बनाए गए है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा–188 की उपधारा–2 में स्थाई निषेधाज्ञा जारी किए जाने हेतु निम्न चार परिस्थितियां बताई गई है:–

परिस्थिति	विवरण
1.	जब हो रहे/होने वाले संभावित अतिक्रमण/व्यवधान/घुसपैठ से होने वाले नुकसान के आंकलन हेतु कोई मानक/मापदण्ड अस्तित्व में नहीं हो।
2.	जब अतिक्रमण/व्यवधान/घुसपैठ इस प्रकार का हो कि नुकसान की आर्थिक भरपाई/क्षतिपूर्ति पर्याप्त राहत/संतुष्टि प्रदान नहीं करता हो।
3.	जब इस तथ्य की संभावना हो कि अतिक्रमण/व्यवधान/घुसपैठ से होने वाले नुकसान की आर्थिक भरपाई/क्षतिपूर्ति की प्रदानगी संभव नहीं होगी।
4.	जब निषेधाज्ञा राजस्व विवादों की बहुलता को रोकने हेतु आवश्यक हो।

59. इस प्रकार स्पष्ट है कि प्रकरण में पत्रावली के अवलोकन के अनुसार स्पष्ट है कि प्रकरण में तनकी संख्या 01 वादीगण के पक्ष में स्वीकार होने के पश्चात् मुतनाजा आराजी पर वादीगण का संयुक्त काश्तकार घोषित होने के आधार पर वादीगण की संयुक्त खातेदारी होना पूर्ण रूप से साबित होती है। अतः मुतनाजा आराजी पर मुताबिक हिस्सा वादीगण का संयुक्त स्वामित्व अविवादित है। परंतु राजस्व रिकॉर्ड में संयुक्त खातेदारी होने से वादी के किसी निश्चित भू–भाग पर बिना विधिक विभाजन करवाये कब्जे के बारे में कथन किया जाना कानूनन अनुचित है। इस कारण मुतनाजा आराजी पर वादीगण की संयुक्त खातेदारी आराजी होने के कारण वादीगण के किसी निश्चित भू–भाग पर बिना विधिक विभाजन करवाये कब्जे के बारे में संशय होने के कारण सुविधा व न्याय का संतुलन वादीगण के पक्ष में होना स्पष्ट नहीं है। अंत में प्रार्थी को अपूरणीय क्षति साबित करने से पूर्व संयुक्त आराजी का विधिक विभाजन करवाया जाना अपरिहार्य शर्त है। इस प्रकार अन्त में उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि वादीगण द्वितीय अनुतोष प्रतिवादीगण के विरूद्ध संयुक्त आराजी का विधिक विभाजन करवाये बिना स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। अतः तनकी संख्या 03 वादीगण के विरूद्ध निर्णित की जाती है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.05.13 10:45:04 IST
Reason: SelfAttested

60. निष्कर्षतः प्रकरण में प्रकरण में वादीगण अपने पिता तुलसाराम के वारिस है। इस आधार पर हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम–1956 की धारा–06 अनुसार हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम–1956 के तहत तुलसाराम की संपत्ति में वादीगण का हक व हिस्सा निहित है। इस कारण मुतनाजा आराजी खसरा संख्या 36 रकबा 7.6728 है0 मौजा नई खडाली एवं खसरा संख्या 125/6.9687 है0, 124 रकबा 0.0081 है0 मौजा खडाली पटवार हल्का खडाली तहसील गुड़ामालानी में तुलसाराम के दिनांक 11.07.2012 को प्रतिवादी संख्या 06 को अपने कर्ता खानदान के आधार पर विधिक आवश्यकताओं के लिए आराजी के अंतरित रकबे के पश्चात शेष रकबे व हिस्से में से वादीगण प्रत्येक को 1/4–1/4 हिस्से के निहित अधिकारों की घोषणा करते हुए वादीगण को खातेदार घोषित किया जाना उचित प्रतीत होता है। इसी प्रकार वादीगण प्रतिवादीगण के विरूद्ध मुतनाजा संयुक्त आराजी का विधिक विभाजन करवाये बिना स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी नही होने के कारण स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः

आदेश है कि

वादीगण का दावा बाबत् इस्तक्करारहक आंशिक मंजूर किया जाकर डिक्री इस कदर जारी की जाती है कि मुतनाजा आराजी खसरा संख्या 36 रकबा 7.6728 है0 मौजा नई खडाली एवं खसरा संख्या 125/6.9687 है0, 124 रकबा 0.0081 है0 मौजा खडाली पटवार हल्का खडाली तहसील गुड़ामालानी में तुलसाराम के दिनांक 11.07.2012 को प्रतिवादी संख्या 06 को अपने कर्ता खानदान के आधार पर विधिक आवश्यकताओं के लिए आराजी के अंतरित रकबे के पश्चात शेष रकबे व हिस्से में से वादीगण प्रत्येक को 1/4–1/4 हिस्से के निहित अधिकारों की घोषणा करते हुए वादीगण को खातेदार घोषित किया जाता है।

निर्णय की पृथक से पर्चा डिक्री तैयार की जाये।

आज 04.05.2026 यह निर्णय मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया जाकर हस्ताक्षर एवं मोहर युक्त जारी किया गया।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
गुढामालानी

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.05.13 10:45:04 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते

न्यायालय

सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी

गुढामालानी

(पीठासीन अधिकारी –केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्याः–2023/7 दर्ज तिथिः–02.01.2023

1. रामीदेवी पुत्री तुलसाराम
2. धोलाराम पुत्र तुलसाराम
3. रमेश पुत्र तुलसाराम
   जाति विश्नोई निवासी खडाली तहसील गुड़ामालानी।

.....वादीगण

बनाम

1. तुलसाराम पुत्र भाकचन्द
2. बुधराम पुत्र भाकचन्द
3. भगवानाराम पुत्र भाकचन्द
4. लाधूराम पुत्र भाकचन्द
5. वरीगा पुत्र लिखमा
   जाति विश्नोई निवासी खडाली तहसील गुड़ामालानी
6. हनुमानराम पुत्र अर्जुनराम
   जाति नाई निवासी लाला की बेरी, बाण्ड तहसील नोखड़ा।
7. तहसीलदार एवं उपपंजीयक गुड़ामालानी

..... प्रतिवादीगण

उपस्थित अधिवक्ता
वादीः–श्री मानाराम विश्नोई
प्रतिवादी संख्या 3,4–श्री हरीशचन्द्र चौधरी
प्रतिवादी संख्या 6ः–श्री रामजीवन विश्नोई
शेष प्रतिवादीगणः–एकतरफा

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा–88, 188
राजस्थान काश्तकारी अधि0–1955

–ःपर्चा डिक्रीः–

वादीगण का दावा बाबत् इस्तक्कररहक आंशिक मंजूर किया जाकर डिक्री इस कदर जारी की जाती है कि मुतनाजा आराजी खसरा संख्या 36 रकबा 7.6728 है0 मौजा नई खडाली एवं खसरा संख्या 125/6. 9687 है0, 124 रकबा 0.0081 है0 मौजा खडाली

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.05.13 10:45:04 IST
Reason: SelfAttested

पटवार हल्का खडाली तहसील गुड़ामालानी में तुलसाराम के दिनांक 11.07.2012 को प्रतिवादी संख्या 06 को अपने कर्ता खानदान के आधार पर विधिक आवश्यकताओं के लिए आराजी के अंतरित रकबे के पश्चात शेष रकबे व हिस्से में से वादीगण प्रत्येक को 1/4–1/4 हिस्से के निहित अधिकारों की घोषणा करते हुए वादीगण को खातेदार घोषित किया जाता है।

यह पर्चा–डिक्री पालनार्थ हेतु संबंधित को तहरीर जारी की जावें। पक्षकारान अपना–अपना खर्चा स्वयं वहन करेंगे।

यह पर्चा–डिक्री आज दिनांक 04.05.2026 को मेरे द्वारा लिखवाई जाकर हस्ताक्षर एवं मुहर युक्त जारी की जाकर खुले न्यायालय में सुनाई गई।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
गुढामालानी

सत्यमेव जयते

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.05.13 10:45:04 IST
Reason: SelfAttested

रामीदेवी बनाम तुलसाराम
2023/7
निर्णय दिनांकः–04.05.2026